बोर्ड परिक्षाओं में अत्याधुनिक सीसीटीवी व्यवस्था होगी अनिवार्य

6 माह तक रिकॉर्डिंग को सुरक्षित रखना होगा जरूरी

हिमाचल दस्तक ▮ धर्मशाला

वर्तमान में आयोजित की जा रही मैट्रिक एवं जमा दो अनुपूरक परीक्षाओं की बोर्ड द्वारा विभिन्न माध्यमों से निरंतर निगरानी की जा रही है। परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी व्यवस्था, उड़नदस्तों एवं अन्य निगरानी तंत्र के माध्यम से परीक्षा संचालन पर कड़ी नजर रखी जा रही है, ताकि परीक्षाएं पूर्णतः निष्पक्ष, पारदर्शी एवं नकलमुक्त वातावरण में संपन्न हो सकें। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष डॉ. राजेश शर्मा ने बताया कि शिक्षा बोर्ड परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता एवं पवित्रता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। भविष्य की बोर्ड परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए परीक्षा केंद्रों में अत्याधुनिक सीसीटीवी निगरानी व्यवस्था को अनिवार्य करने का निर्णय लिया गया है। अब सभी संबद्ध विद्यालयों एवं संस्थानों को परीक्षा आरंभ होने से पूर्व अपने परीक्षा केंद्रों के सभी परीक्षा कक्षों तथा प्रत्येक प्रवेश एवं निकास द्वार पर वीडियो एवं ऑडियो रिकॉर्डिंग सुविधा से युक्त सीसीटीवी कैमरे स्थापित करने होंगे।परीक्षा केंद्रों में स्थापित निगरानी प्रणाली के लिए नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर के माध्यम से कम से कम छह माह तक रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखना भी अनिवार्य होगा।

सीसीटीवी कैमरा की निगरानी में हो रही अनुपूरक परीक्षाएं

नगर संवाददाता– धर्मशाला

हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड, धर्मशाला के अध्यक्ष डा. राजेश शर्मा ने बताया कि वर्तमान में आयोजित की जा रही मैट्रिक एवं जमा दो अनुपूरक परीक्षाओं की विभिन्न माध्यमों से निरंतर निगरानी की जा रही है। परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी, उड़नदस्तों एवं अन्य निगरानी तंत्र के माध्यम से नजर रखी जा रही है, ताकि परीक्षाएं पूर्णत: निष्पक्ष, पारदर्शी एवं नकलमुक्त वातावरण में संपन्न हो सकें। बोर्ड परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है तथा अनियमितताओं के प्रति शून्य सहनशीलता (ज़ीरो टॉलरेंस) की नीति अपनाई गई है। भविष्य की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए बोर्ड ने परीक्षा केंद्रों में अत्याधुनिक सीसीटीवी निगरानी व्यवस्था को अनिवार्य करने का निर्णय लिया है। अब सभी संबद्ध विद्यालयों को परीक्षा कक्षों, हॉलों तथा प्रवेश एवं निकास द्वारों पर वीडियो व ऑडियो रिकॉर्डिंग सुविधा से युक्त सीसीटीवी कैमरे स्थापित करने होंगे। इसके साथ ही, नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर (एनवीआर) के माध्यम से कम से कम छह महीने तक रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखनी होगी और सीसीटीवी प्रणाली के लिए स्टैटिक आईपी एड्रेस का उपयोग करना होगा, ताकि आवश्यकता पड़ने पर रिकॉर्डिंग तत्काल उपलब्ध कराई जा सके। बोर्ड अध्यक्ष ने आगे बताया कि परीक्षा केंद्रों के आवंटन से पूर्व संबंधित संस्थानों का निरीक्षण किया जाएगा। उन्होंने सभी संबद्ध विद्यालयों से इन निर्देशों का समयबद्ध अनुपालन करने का आग्रह करते हुए कहा कि परीक्षा की पारदर्शिता एवं विश्वसनीयता बनाए रखना शिक्षा बोर्ड, विद्यालयों एवं समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है।

डिजिटल अख़बार
पहली नजर
सबसे पहले, सबसे तेज
पहली नजर
आज की ताजा ख़बर देखते रहिए
डिजिटल न्यूज पेपर पहली नजर के साथ
05 जुलाई, 2026 www.pehalinazar.com pehalinazarhp@gmail.com

अनुपूरक परीक्षाओं के दौरान शिक्षा बोर्ड की कड़ी निगरानी, भविष्य में अत्याधुनिक सीसीटीवी व्यवस्था होगी अनिवार्य

अनुचित साधनों एवं अन्य अनियमितताओं के प्रति अपनाई है जीरो टॉलरेंस नीति

पहली नजर ब्यूरो, धर्मशाला

हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला के अध्यक्ष डॉ. राजेश शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि वर्तमान में आयोजित की जा रही मैट्रिक एवं जमा दो अनुपूरक परीक्षाओं की बोर्ड द्वारा विभिन्न माध्यमों से निरंतर निगरानी की जा रही है। परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी व्यवस्था, उड़नदस्तों एवं अन्य निगरानी तंत्र के माध्यम से परीक्षा संचालन पर कड़ी नजर रखी जा रही है, ताकि परीक्षाएं पूर्णतः निष्पक्ष, पारदर्शी एवं नकलमुक्त वातावरण में संपन्न हो सकें।

उन्होंने कहा कि शिक्षा बोर्ड परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता एवं पवित्रता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है तथा अनुचित साधनों एवं अन्य अनियमितताओं के प्रति

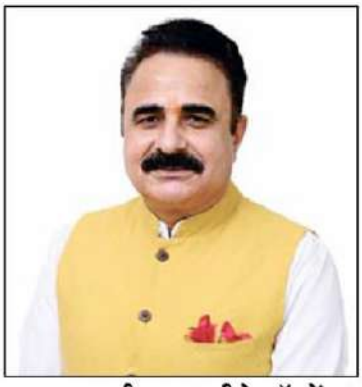

शून्य सहनशीलता (जीरो टॉलरेंस) की नीति अपनाई गई है। बोर्ड समय-समय पर परीक्षा केंद्रों एवं विद्यालयों को अपने निगरानी तंत्र को सुदृढ़ एवं तकनीकी रूप से उन्नत बनाने के लिए भी जागरूक कर रहा है।

डॉ. शर्मा ने बताया कि भविष्य की बोर्ड परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए परीक्षा केंद्रों में अत्याधुनिक सीसीटीवी निगरानी व्यवस्था को अनिवार्य करने का निर्णय लिया गया है। अब सभी संबद्ध विद्यालयों एवं संस्थानों को परीक्षा आरंभ होने से पूर्व अपने परीक्षा केंद्रों के सभी परीक्षा कक्षों/हालों तथा प्रत्येक प्रवेश एवं निकास द्वार पर वीडियो एवं ऑडियो रिकॉर्डिंग सुविधा से युक्त सीसीटीवी कैमरे स्थापित करने होंगे।

छह माह तक रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखना अनिवार्य

राजेश शर्मा ने बताया कि परीक्षा केंद्रों में स्थापित निगरानी प्रणाली के लिए नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर (NVR) के माध्यम से कम से कम छह माह तक रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखना भी अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त सीसीटीवी प्रणाली के लिए उपयोग की जाने वाली नेटवर्क कनेक्टिविटी एवं IP Address को स्थायी (Static) स्वरूप में बनाए रखना होगा, ताकि आवश्यकता पड़ने पर रिकॉर्डिंग तत्काल उपलब्ध करवाई जा सके।

विद्यालयों व संस्थानों का किया जाएगा निरीक्षण

बोर्ड अध्यक्ष ने आगे बताया कि परीक्षा केंद्रों के आवंटन से पूर्व बोर्ड द्वारा संबंधित विद्यालयों एवं संस्थानों का निरीक्षण भी किया जाएगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वहां निर्धारित मानकों के अनुरूप अत्याधुनिक एवं तकनीकी रूप से उन्नत निगरानी व्यवस्था उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि इन उपायों से परीक्षा केंद्रों की निगरानी और अधिक प्रभावी होगी तथा नकल एवं अन्य अनियमितताओं पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने में सहायता मिलेगी।

परीक्षा में पारदर्शिता सभी की जिम्मेदारी

डॉ. शर्मा ने सभी संबद्ध विद्यालयों एवं संस्थानों से इन निर्देशों का समयबद्ध अनुपालन सुनिश्चित करने का आग्रह करते हुए कहा कि परीक्षा की पारदर्शिता एवं विश्वसनीयता बनाए रखना शिक्षा बोर्ड, विद्यालयों एवं समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है।

JULY 06, 2026 MONDAY DHARAMSHALA

The Sunny Times

HPBOSE MAKES 24/7 AUDIO-VISUAL SURVEILLANCE MANDATORY FOR EXAMS

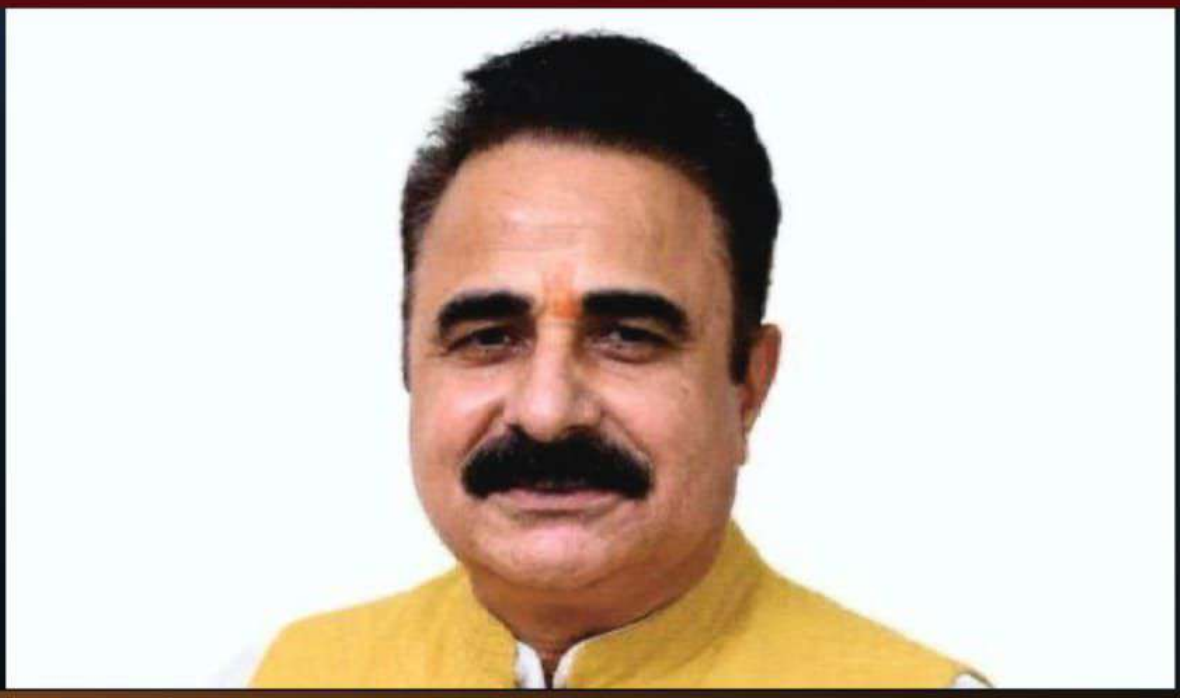

The Sunny Times | Dharamshala

Cheating your way through exams in Himachal Pradesh is about to become practically impossible. The state's school education board (HPBOSE) is rolling out a massive high-tech crackdown, turning examination halls into high-security surveillance zones.

HPBOSE Chairman Dr. Rajesh Sharma announced that the board is currently keeping a hawk-eyed watch over the ongoing matric and plus-two supplementary exams using a mix of CCTV cameras, flying squads, and surprise checks. But this is just the warm-up.

To completely wipe out cheating and maintain absolute transparency, the board is making cutting-edge CCTV systems mandatory for all affiliated schools in future exams. Schools can no longer just hang a basic camera on the wall. The new mandate requires every single exam hall, classroom, entry point, and exit gate to be equipped with advanced CCTV cameras that capture both high-definition video and crisp audio.

The security protocols get even tighter behind the scenes. Schools must now back up all exam footage on a Network Video Recorder (NVR) and securely store it for at least six months. On top of that, schools must use a static IP address for their internet connection so board officials can instantly log in and access live or recorded footage whenever they suspect foul play.

The board is adopting a strict zero-tolerance policy, and they aren't taking anyone's word for it. Before any school is even allowed to host an exam, board inspectors will personally visit the campus to audit the tech setup. If a school's surveillance system doesn't match these strict, tech-forward standards, they simply won't get to be an exam center. Dr. Sharma emphasized that keeping exams clean, honest, and fair is a collective duty, urging schools to upgrade their tech immediately before the clock runs out.